FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
...ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

...वान मदनलाल बनाम ओमप्रकाश वगै०

...म मुकदमा दावा मुकदमा नं० 152 सन् 2017

...ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
... 11/17	वकील वादी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14-12-17 को पेश हो।	5277-92 / 23-11-17
... 12/17	पत्रावली पेश हुई। मुताबिक फरिकैन उप./अनुपस्थित ... अधिकारी के /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23.02.18 को पेश हो। प्रतिवादी नं० 3 व 4 की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार योगी एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।	
23 02/18	पत्रावली पेश हुई। मुताबिक फरिकैन उप./अनु... अधिकारी के /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04-04-18 को पेश हो।	
04/18	पत्रावली पेश ... मुताबिक फरिकैन उप./अनु... अधिकारी के /अन्य ... पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25-05-18 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
26/04/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने योग्य पायी जाने पर कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र ग्रो. [illegible] में दिनांक 21-05-2018 पेश हो।	
25/5/18	इरजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अभि[illegible] का [illegible] कर्तव्य है। दिनांक 3-8-18 को पेश हो।	
3-8-18	इरजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अभि[illegible] का [illegible] कर्तव्य है। दिनांक 5-10-18 को पेश हो।	
10/07/18	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित पक्षकारान के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा वादी प्रकरण को और आगे नही चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर दावा विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान करे। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर दावा विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner